

फर्द-अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.) नवलगढ

प्राथीया	बनाम	अप्रार्थीगण
श्री पुत्र यासीन काजी जाति काजी झुण्डलोद तहसील नवलगढ जिला ये मुखत्यार खास मोहम्मद गुलजार हुसैन जाति काजी निवारी सीकर जिला सीकर राजस्थान।		1. जाविद अली पुत्र सफी मोहम्मद बेहलीम जाति व्यापारी 2. रुकसाना बानो पत्नी शब्बीर जाति काजी 3. लियाकत अली पुत्र सफी मोहम्मद बेहलीम जाति व्यापारी 4. हबीब उरमानगनी पुत्र यासीन कयालवाल जाति व्यापारी 5. जरीना बानो पत्नी हनिफ जाति व्यापारी समस्त निवारीगण झुण्डलोद तहसील नवलगढ जिला झुण्डुनू राजस्थान। 6. रुखसाना पत्नी जमालूदीन जाति व्यापारी निवारी शीतला का मोहल्ला, मण्डावा हाल आबाद झुण्डलोद तहसील नवलगढ जिला झुण्डुनू। 7. राजस्थान सरकार(लैण्ड होल्डर) जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुण्डुनू राजस्थान।
केसम मुकदमा 53, 88, 188 राजस्व वाद.....		मुकदमा नम्बर..... 14/2024

हुवम कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुवम की तामील में जारी हुए

प्रार्थीगण वकील श्री दीपेन्द्र सिंह जाखड ने यह राजस्व वाद धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के अंतर्गत पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। वादीया वकील प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन डाक रजिस्टर (एडी) से पेश करे। पत्रावली वास्ते प्रतिवादीगण की तलबी हेतु दिनांक 23.02.2024 को पेश हो।

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)नवलगढ

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ नवलगढ द्वारा कार्य स्थगित किये जाने तथा श्रीमान P.O. सा. जमर कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली अवकाश दिनांक 31/01/24 को पेश हो।

31/01/24
पत्रावली पेश। कार्यवाही मय इनिशियल जज अहकाम मुकदमा 53, 88, 188 राजस्व वाद दिनांक को देना है।
अभिभाषक
अदालत अधिकारी
नवलगढ

29/01/24

वाड वाडी हल्ले काले नही चलाना चाहते हैं। जिरिया जाति किल जातोय फुदली कुजल कुमद बे कल्प के कल के वाड तकसील जास्य दाकिल फल्ले हो।

अभिभाषक अधिकारी
नवलगढ

हमारा राजी नामा हो गया है आगे कोई कारवाही नहीं चाहते हैं।

श्री. गुलजार